बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

पत्रांक 157/आई०सी० पटना, दिनांक 23.03.18

सं० सं०–05/उ० नि० ब० (आवंटन) 26/2017

प्रेषक,

पंकज कुमार सिंह,
उद्योग निदेशक, बिहार।

सेवा में,

सहायक उद्योग निदेशक (लेखा),
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।

विषय :– **मुख्य शीर्ष–4885–उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्यशीर्ष–02–पिछड़े क्षेत्रों का विकास, लघुशीर्ष–050–भूमि, मांग सं0–23, उपशीर्ष–0101–औद्योगिक विकास के लिए भूमि अर्जन, विपत्र कोड–23–4885020500101, विषय शीर्ष–0101.53.02–भू–अर्जन मद से राज्य औद्योगिक प्रोत्साहन नीति की कार्यनीति (Strategy) के अन्तर्गत भूमि बैंक के अधीन कॉरपस/रिवॉल्विंग फंड के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 में अतिरिक्त राशि रू0 68,38,112/–(अड़सठ लाख अड़तीस हजार एक सौ बारह रूपये) मात्र की स्वीकृति के आलोक में आवंटन।**

महाशय,

उक्त बजट शीर्ष के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में विषय शीर्ष 0101.53.02 भू–अर्जन से संबंधित व्यय को वहन करने हेतु कुल **रू0 68,38,112/–(अड़सठ लाख अड़तीस हजार एक सौ बारह रूपये)** मात्र का आवंटन स्वीकृत किया जाता है।

2 इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में आय–व्ययक शीर्ष 4885–उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्यशीर्ष–02–पिछड़े क्षेत्रों का विकास, लघुशीर्ष–050–भूमि, मांग सं0–23, उपशीर्ष–0101– औद्योगिक विकास के लिए भूमि अर्जन, विपत्र कोड–23–4885020500101, विषय शीर्ष–0101.53.02–भू–अर्जन के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलित होगा।

3 यह आवंटन विभागीय स्वीकृत्यादेश **ज्ञापांक 1149, दिनांक 19.03.2018 (विभागीय शुद्धि–पत्र ज्ञापांक 1199, दिनांक 20.03.2018 द्वारा अंशतः संशोधित)** के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। अतः इसके निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाय।

4 राशि की निकासी वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 वि0(2) दिनांक 17 अप्रैल, 1998 के आलोक में ही की जाय तथा उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5 राशि की निकासी करते समय निम्नांकित बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जाय :–

(क) योजना की स्वीकृति के आधार पर तथा वित्त विभाग के उक्त परिपत्र में निर्धारित अधिसीमा तक ही व्यय किया जाय।

(ख) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्त नियमावली के भाग–1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में प्रावधानित राशि से अधिक व्यय नहीं होने पाए।

(ग) व्यय प्रतिवेदन व्यय के तुरंत बाद टी0 भी0 नं0/बिल नं0 तथा मासिक CTMIS व्यय प्रतिवेदन के साथ अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।

(घ) 2017–18 का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन 25 मार्च 2018 तक अवश्य भेज दें।

विश्वासभाजन

21/3

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

कृ0 पृ0 उ0

ज्ञापांक 157/अनु०2-1   पटना, दिनांक 23.03.18

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 157/अनु०2-1   पटना, दिनांक 23.03.18

प्रतिलिपि :– वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त एवं जिला पदाधिकारी/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम/निदेशक, तकनीकी विकास, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ए0सी0–डी0सी0 यू0सी0 कोषांग, उद्योग विभाग/प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, उद्योग भवन, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना) उद्योग निदेशालय/प्रशाखा–05, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ तथा आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित कोषागार पदाधिकारी के अधिकृत ई–मेल पर भेजने हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।